

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023—फाल्गुन 26, शक 1944

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

#### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

#### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

#### भाग ४ (ग)

#### अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग  
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023

क्र. 558-मप्रविनिआ-2023.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 9 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ताओं के सत्यापन हेतु निम्न विनियम बनाता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 {जी-45, वर्ष 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

- 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023{जी-45, वर्ष 2023}" कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (Captive generating Plants) तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive users) की अद्यतन स्थिति के सत्यापन की क्रियाविधि को निर्दिष्ट करना है जब उपभोक्ता राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित अपने आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों से विद्युत का आयात करते हैं तथा, जब या तो आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र अथवा आबद्ध उपयोगकर्ता पालन की जाने वाली शर्तों की पूर्ति नहीं करते, ऐसी स्थिति के परिणामों को निर्दिष्ट करना है।

3. विस्तार तथा लागू किया जाना (Scope and Extent of Application)

- 3.1 ये विनियम समस्त आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (Captive Generating Plants-CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) को लागू होंगे।
- 3.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

4. परिभाषाएं

- 4.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003;
- (ख) "आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (Captive Generating Plant-CGP)" से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन संयन्त्र जैसा कि इसे

अधिनियम सहपठित विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में परिभाषित किया गया है ;

- (ग) "आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User)" से अभिप्रेत है स्वयं के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र से उत्पादित विद्युत का अन्तिम उपयोगकर्ता तथा पारिभाषिक शब्द "आबद्ध उपयोग (Captive use)" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (घ) "पदांकित प्राधिकारी (Designated Authority)" से अभिप्रेत इन विनियमों के अधीन आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अधिकृत प्राधिकारी;
- (ङ) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)" से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो अपने प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति हेतु किसी वितरण प्रणाली का संचालन तथा संधारण करने हेतु प्राधिकृत है ;
- (च) "विद्युत नियम, 2005 (Electricity Rules, 2005)" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार के आदेश क्रमांक GSR 379 (E) दिनांक जून, 2005 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित यथासंशोधित नियम ;
- (छ) "क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (Regional Load Despatch Centre)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र ;
- (ज) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र ; और
- (झ) "वर्ष" से अभिप्रेत है दिनांक प्रथम अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

4.2 इन विनियमों में प्रयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम तथा विद्युत नियम, 2005 या राज्य आयोग के अन्य किन्हीं विनियमों में परिभाषित किया हो, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वहीं अर्थ रखेंगे जैसा कि इनके लिये, यथास्थिति, अधिनियम या विद्युत नियम, 2005 या राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य किन्हीं विनियमों में इनके लिये समनुदेशित किया गया है।

## 5. "पदांकित प्राधिकारी (Designated Authority)"

- 5.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन विद्युत उत्पादन संयन्त्र (generating plant) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की आबद्ध अवस्था (status) के अवधारण हेतु पदांकित प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक पृथक आदेश जारी किया जाएगा।
- 5.2 यदि पदांकित प्राधिकारी द्वारा आबद्ध अवस्था (Status) के सत्यापन के प्रयोजन हेतु इन विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वांछित आंकड़े (data) तथा अभिलेख प्राप्त नहीं किये जाते हों तो वह उपलब्ध आंकड़ों या अभिलेखों के उपयोग द्वारा, यदि कोई हों, संयन्त्र की अवस्था का अवधारण करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 5.3 पदांकित प्राधिकारी आबद्ध अवस्था के संबंध में शर्त की पूर्ति हेतु या फिर अन्यथा, आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP)/आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आगामी वर्ष की 15 जुलाई तक सूचित करेगा।

## 6. आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र की अवस्था का सत्यापन (Verification of Status of CGP)

- 6.1 विद्युत खपत तथा इक्विटी शेयर धारण के मापदण्ड के बारे में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की अवस्था (Status) का प्रमाणीकरण, जैसा कि इसे विद्युत नियम, 2005 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, वर्ष के अन्त में प्रति वर्ष पदांकित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 6.2 आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा पदांकित प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र (format) में पूर्व वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन, इकाई-वार खपत तथा इक्विटी शेयर धारण के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करते हुए शपथ पत्र (affidavit) प्रति वर्ष अधिकतम 15 मई तक दाखिल किया जाएगा।
- 6.3 ऐसे आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के प्राप्त होने पर पदांकित अधिकारी द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) या आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) की श्रेणी के सत्यापन हेतु संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC), राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), वितरण अनुज्ञप्तिधारी (जिसके कार्यक्षेत्र में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र या आबद्ध उपयोगकर्ता अवस्थित है) की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

#### 6.4 विद्युत खपत मापदण्ड का सत्यापन (verification of Consumption Criteria)

- क) विद्युत खपत के मापदण्ड का सत्यापन किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र में आबद्ध उपयोग हेतु चिन्हांकित की गई विद्युत उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित शुद्ध विद्युत के आधार पर, अर्थात् सकल उत्पादित विद्युत में से सहायक खपत, घटाकर किया जाएगा।
- ख) शुद्ध विद्युत का अवधारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अन्त में किया जाएगा।
- ग) विभिन्न प्रकार के आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive users) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता का प्रकार	मापदण्ड
एक.	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
दो.	साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership firm/Limited Liability Partnership)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
तीन.	व्यक्तियों का संघ (Association of Persons-AoP)	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) में उनके शेयर के अनुपात में, 10% से अनाधिक घटत-बढ़त (variation) के अधीन, आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की विद्युत खपत आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी।
चार.	सहकारी समिति (Cooperative Society)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा उत्पादित शुद्ध विद्युत के कम से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेगा।
पांच.	कम्पनी/साझेदारी फर्म/	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user)

सीमित दायित्व भागीदारी / व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users)	की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
---	---

घ) आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से उत्पादन तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा खपत से संबंधित आंकड़ों के आकलन की विधि :

सरल क्रमांक	अवस्थिति (Location)	आकलन की विधि (Method of Assesment)
एक.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) परस्पर अवस्थित (co-located) है	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध उत्पादन तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा खपत पर आधारित जो विद्युत उत्पादन पक्ष (Generation Side) पर विद्युत उत्पादन के अभिलेखन हेतु स्थापित मापयन्त्र (मीटर) के वाचन तथा खपत पक्ष पर स्थापित मापयन्त्र में अभिलेखित खपत पर आधारित होगा।
दो.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) राज्य के भीतर अवस्थित है {परन्तु परस्पर अवस्थित (Colocated) नहीं हैं}	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध उत्पादन पर आधारित, जिस हेतु आकड़े राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जिसके अनुसार आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) के अनुसूचित ऊर्जा से तत्संबंधी खपत अथवा वास्तविक खपत (actual consumption) इनमें से जो भी कम हो, अपनाई जाएगी, जो उत्पादन पक्ष पर (उत्पादन मापयन्त्र) तथा खपत पक्ष पर (खपत मापयन्त्र) के अभिलेखन हेतु मापयन्त्र के वाचन पर आधारित होगी
तीन.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसका/इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध विद्युत उत्पादन पर आधारित, जिस हेतु आंकड़े

users) विभिन्न राज्यों में अवस्थित हैं	तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जिसके अनुसार अनुसूचित ऊर्जा से तत्संबंधी खपत अथवा वास्तविक खपत (actual consumption) इनमें जो भी कम हो, अपनाई जाएगी, जो खपत पक्ष पर (खपत मापयंत्र) पर अभिलेखित खपत पर आधारित होगी जिसे संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसके/जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता अवस्थित है/हैं।
--	---

**6.5 इक्विटी शेयर धारण मापदण्ड का सत्यापन (Verification of equity share holding criterion)**

विभिन्न प्रकार के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (CGP) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) का प्रकार	मापदण्ड (criteria)	सहायक अभिलेख (Support Document)
एक	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	उपयोगकर्ता को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, मतदान अधिकारों (Voting rights) का धारण करते हुए न्यूनतम 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी धारित करनी होगी।	पंजीकृत सनदी लेखापाल (Registered Chartered Accountant) जो कम्पनी का वार्षिक वित्तीय वितरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो /कम्पनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र
दो	साझेदारी फर्म/ सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership firm/ LLP )	आबद्ध संयन्त्र (Captive Plant) में न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व हित तथा सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, वार्षिक आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र या विद्युत संयन्त्र पर नियंत्रण धारित करना होगा	फर्म के पंजीकृत सनदी लेखापाल (Registered Chartered Accountant) जो फर्म का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र

तीन	व्यक्तियों का संघ (AoP)	आबद्ध उपयोगकर्ताओं को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों (Voting rights) का धारण करते हुए न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व (ownership)/प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (paidup equity share capital) सामूहिक रूप से धारित करनी होगी।	पंजीकृत सनदी लेखापाल जो कम्पनी का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र
चार	सहकारी समिति (Cooperative Society)	समिति के सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर न्यूनतम 26% सामूहिक स्वामित्व धारित किये जाने की शर्त की तुष्टि की जाएगी	सहकारी समिति के जिला पंजीयक/सनदी लेखापाल जो समिति का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र हस्ताक्षर करताहो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पांच	कम्पनी/साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) फर्म/व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users)	आबद्ध उपयोगकर्ता को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों (Voting rights) के साथ आबद्ध उपयोग हेतु चिन्हांकित इकाईयों के संबंध में {अर्थात् विद्युत उत्पादन इकाई या आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) के रूप में चिन्हांकित से संबंधित कम्पनी की इक्विटी का अनुपात} प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का आनुपातिक न्यूनतम 26% भाग सामूहिक रूप से धारित करना होगा।	उपरोक्त (एक) से (चार) के अनुसार इस बात पर निर्भर कि विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कम्पनी/भागीदारी (पार्टनरशिप)/सीमित दायित्व भागीदारी (LLP)/व्यक्तियों का संघ (AoP) है



## 7. आबद्ध उपयोगकर्ता की अवस्था में विफल पाये जाने के परिणाम (Consequence of failure to meet Captive user Status)

- 7.1 यदि आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र या आबद्ध उपयोगकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में विनिर्दिष्ट स्वामित्व तथा खपत का मापदण्ड प्राप्त करने में विफल रहता हो तो वर्ष के अन्त में, ऐसे आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) या आबद्ध उपयोगकर्ता को उक्त वर्ष की आबद्ध अवस्था से वंचित होना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप ऐसी इकाई पर प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त अधिभार, (Additional Surcharge) तथा ऐसे अन्य प्रभार जो खुली पहुंच उपभोक्ता(ओं) को लागू होते हैं, का भार वहन करने के साथ-साथ सम्पूर्ण वर्ष के लिये स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संयंत्र (non-captive generating plant) को लागू प्रभार भी वहन करने होंगे।
- 7.2 संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, प्रति माह प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार संबंधी मांग के साथ-साथ, 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलम्बित भुगतान अधिभार संबंधी मांग, उक्त दिनांक से जब ऐसी मांग का भुगतान देय हो, संबंधित के विरुद्ध जारी करने का अधिकार होगा।

## 8. विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure)

- 8.1 आयोग द्वारा विद्युत नियम, 2005 तथा इन विनियमों के प्रावधान के अनुसरण में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की अवस्था के सत्यापन के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की जाएगी।

## 9. विवाद निर्णय की समीक्षा तथा विवाद प्रतितोषण ( Dispute Review of Decision & Dispute Resolution)

- 9.1 आयोग एक समिति का गठन करेगा जिसे "आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र श्रेणी विवाद प्रतितोषण समिति (जिसे एतद् पश्चात् "सीजीपी स्टेटस समिति" कहा गया है) कहा जाएगा।
- 9.2 आयोग द्वारा एक पृथक आदेश के माध्यम से सीजीपी स्टेटस समिति के गठन के बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 9.3 पदांकित अधिकारी के निर्णय से परिवेदित किसी भी आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी नवीन तथा महत्वपूर्ण सामग्री या साक्ष्य या अन्यथा भी पाये पर, जो यथोचित कर्मठता का प्रयोग किये जाने के बावजूद उसकी जानकारी में नहीं आ पाई हो तथा ऐसे समय पर जब निर्णय पारित किया गया था,

प्रस्तुत न की जा सकी हो या फिर प्रत्यक्ष अभिलेख में भूलवश या किसी त्रुटि के कारण या अन्य किसी पर्याप्त कारण से भी ऐसे पदांकित अधिकारी के निर्णय की समीक्षा हेतु निर्णय की तिथि से तीस (30) दिवस के भीतर सीजीपी स्टेटस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- 9.4 पदांकित अधिकारी इस तथ्य पर निर्भर कि निर्णय की समीक्षा हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है अथवा नहीं, उसके द्वारा ऐसी समीक्षाओं संबंधी अनुरोधों को पुनर्विचार प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर स्वीकार या निरस्त किया जा सकेगा।
- 9.5 पदांकित अधिकारी के निर्णय से परिवेदित, कोई भी आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी, यदि पदांकित अधिकारी द्वारा विनियमों के किसी भी प्रावधान या विस्तृत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, पदांकित अधिकारी के आदेश की दिनांक के 30 दिवस के भीतर अपना प्रस्तुतिकरण सीजीपी स्टेटस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- 9.6 सीजीपी स्टेटस समिति आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी का आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण करेगी तथा इसका प्रतितोषण अधिमानतः 45 दिवस के भीतर करने का प्रयास करेगी।
- 9.7 यदि आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी सीजीपी स्टेटस समिति के निर्णय से सन्तुष्ट न हों तो वे आयोग के समक्ष ऐसे निर्णय की तिथि से 30 दिवस के भीतर एक याचिका, आदेशार्थ प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र, आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार एक याचिका दाखिल करनी होगी।

#### 10. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हों तथा कठिनाइयां दूर करने में वांछनीय हो।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई

विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,  
उमाकान्त पांडा, सचिव.